



2026:AHC:57059

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 6698 वर्ष 2026

गोविंद यादव एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

राहुल यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत जी.टी. संख्या 584 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सर्वेश यादव एवं अन्य) की पूरी कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 101 वर्ष 2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ से संबंधित है, साथ ही आरोप-पत्र दिनांक 26.04.2025 और संज्ञान आदेश दिनांक 09.05.2025 को भी निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जो विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मऊ की न्यायालय में लंबित है।
3. पिछले आदेश दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था और उन्होंने निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण को एस.टी. संख्या 184 वर्ष 2024, जो मुकदमा अपराध संख्या 148 वर्ष 2023 से संबंधित है, में बरी कर दिया गया है, हालांकि सह-अभियुक्त सर्वेश यादव, आशीष यादव और अरविंद यादव को दोषी ठहराया गया था।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही निम्नलिखित मामले के आधार पर शुरू की गई थी:—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(i) मुकदमा अपराध संख्या 148 वर्ष 2023, धारा 302, 120बी आई.पी.सी., थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ।"

5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण को मुकदमा अपराध संख्या 148 वर्ष 2023, धारा 302, 120बी आई.पी.सी., थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ में निर्णय और आदेश दिनांक 04.02.2025 के माध्यम से बरी कर दिया गया है/कार्यवाही निरस्त कर दी गई है, जिसकी प्रति पूरक शपथ पत्र दिनांक 17.02.2025 में संलग्न की गई है।

6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अब अभियोजन के पास आवेदकगण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई कारण शेष नहीं है, क्योंकि वे आधार मामले में बरी हो चुके हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब आधार मामले में कार्यवाही पहले ही निरस्त कर दी गई है/आवेदकगण बरी हो चुके हैं, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्तमान कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती।

7. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2024 0 आई.एन.एस.सी. 118]** द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, और कहा है कि एक बार जब आवेदकगण आधार मामले में बरी हो गए हैं या कार्यवाही निरस्त कर दी गई है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, इसलिए पूरी कार्यवाही अस्थिर है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आधार मामले के निरस्त होने या बरी होने या खारिज होने के कारण गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता। गैंगस्टर एक्ट के तहत विवादित आरोप-पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **पारस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 11117 वर्ष 2024, दिनांक 03.05.2024 को निर्णीत]** में पारित निर्णय पर भरोसा किया।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आधार मामले की कार्यवाही अब लंबित नहीं है और एक बार जब गैंग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चार्ट में दर्शाए गए आधार मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है या आवेदकगण बरी हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

11. **फरहाना (उपरोक्त)** के हालिया निर्णय में, जिसका फैसला 19.02.2024 को हुआ था, माननीय शीर्ष अदालत ने इस आधार पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया कि आवेदकगण के विरुद्ध दिखाए गए आधार मामले को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। **फरहाना (उपरोक्त)** के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:—

"12. गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(b)(i) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गिरोह का सदस्य होने के कथित व्यक्ति को समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए जो आई.पी.सी. के अध्याय XVI, या XVII या XXII के तहत दंडनीय अपराधों के दायरे में आते हों। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधों के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन द्वारा तैयार किया गया मामला ऊपर उद्धृत धारा 2(b)(i) तक सीमित है और प्रस्तावित अभियोजन के लिए प्रावधान के किसी अन्य खंड का उपयोग नहीं किया गया है।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत अभियुक्त के अभियोजन को जारी रखने के लिए, अभियोजन को स्पष्ट रूप से यह बताना आवश्यक होगा कि अपीलकर्ताओं पर धारा 2(b) के तहत परिभाषित समाज विरोधी गतिविधियों के दायरे में आने वाले किसी एक या अधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

14. इसमें कोई विवाद नहीं है कि आई.पी.सी. के अध्याय XVII के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ पंजीकृत एकमात्र प्राथमिकी, जो अपराध संख्या 173 वर्ष 2019 है, की कार्यवाही में अपीलकर्ता दोषमुक्त हो चुके हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन संख्या 7228 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 3 मार्च, 2023 के माध्यम से उक्त प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।



15. अतः, गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के अभियोजन को जारी रखने की बुनियाद ही खत्म हो जाती है और परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं का निरंतर अभियोजन अनुचित है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

16. ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को रद्द और निरस्त किया जाता है।"

12. पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, चूंकि आवेदक के विरुद्ध आधार मामले की कार्यवाही अब लंबित नहीं है, इसलिए जी.टी. संख्या 584 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सर्वेश यादव एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 101 वर्ष 2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ से उद्भूत है, साथ ही आरोप-पत्र दिनांक 26.04.2025 और संज्ञान आदेश दिनांक 09.05.2025, जो विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मऊ की अदालत में लंबित है, को केवल वर्तमान आवेदकगण के संदर्भ में रद्द किया जाता है।

13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 मार्च, 2026

ए.पी. पाण्डेय